

प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE

NO.

4539/DEL/PART/300/42/7067/2005

Modified RC No. 4539/DEL/1000/42/
7067/2005

(capacity of RC enhanced from
300 to 1000 workers)

उत्प्रवासी महासंरक्षी

Director General of Emigration

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR

Ministry of Overseas Indian Affairs
प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE



भारत सरकार

श्रम मंत्रालय

Government of India

MINISTRY OF LABOUR

प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE

[नियम 10(2) देखिए]
[See rule 10 (2)]



भारत के उत्प्रवासी महासंरक्षी
संयुक्त सचिव उत्प्रवासी महासंरक्षी
Joint Secretary, Director General of Emigration
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Overseas Indian Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi.

विदेशी नियोजकों के साथ भारतीय कर्मचारों के नियोजन के लिए भर्ती का कारबार प्रारम्भ करने या चलाने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अधीन प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए..... को उक्त प्रमाण-पत्र दिया जाता है जो इस प्रमाण-पत्र तारीख के आवेदन के संबंध में मै..... की तारीख से निम्नलिखित नियुक्त और नुर्तों के अधीन प्रभावी होगा :-

With reference to the application dated..... for grant of a Certificate under Section 10 of the Emigration Act, 1983 to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers, M/s. **Sal International**..... is hereby granted the said certificate effective from the date of issue of this certificate, subject to the following terms and conditions, namely:- **Shri Sonab Pal..... Mg. Partner**

RZ-259, Gali No.19, Tughlakabad Extn.,

New Delhi-110019..... किया जाएगा

- (i) यह कि कारबार का संचालन..... किया जाएगा
- (i) that the business shall be conducted at.....;
- (ii) यह कि प्रमाण-पत्र..... वर्ष की कालावधि के लिए या..... कर्मचारों की भर्ती पूरी हो जाने तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, वैध है। विनिश्चित अवधि के पूर्व विनिश्चित संख्या में भर्ती पूरी हो जाने की दशा में प्रमाण-पत्र धारक की वास्तविक मांग का साक्ष्य पेश किए जाने पर और नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिभूति देने पर प्रमाण-पत्र को समाप्त तक भर्ती चालू रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है ;
- (ii) that this certificate is valid for a period of..... years or till the completion of the recruitment of **Three Hundred** workers whichever is earlier. In the event of the recruitment of the specified number getting completed before the specified period, the holder of the certificate can be permitted to continue recruitment upto the expiry of the certificate on production of evidence of actual demand and on furnishing additional security under sub-rule (2) of rule 8;
- (iii) यह कि प्रमाण-पत्र धारक कारबार का संचालन अपने हस्ताक्षर और निदेशक/भागीदार/स्वत्वधारी की मोहर से करेगा तथा प्रमाण-पत्र अंतरणीय नहीं होगा ;
- (iii) that the holder of the certificate shall conduct business under signatures and seal of the director/partners/proprietor and the certificate shall not be transferable ;
- (iv) कि इस पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटोप्रति व्यवसाय परिसर के उचित स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रति भी जिस पर यह पृष्ठांकित हो कि भर्ती एजेंट को अन्य स्थान पर व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, यदि कोई हों, ऐसे शाखा कार्यालय के व्यवसाय परिसर के उचित स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। उत्प्रवास प्राधिकारियों/कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों तथा नियोजक द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iv) that a photocopy of this registration certificate shall be prominently displayed at a conspicuous place in the premises of the business. Also a copy attested by the registering authority with an endorsement of having authorised the recruiting agent to carry on the business at additional premises, if any, shall be displayed at conspicuous place in the business premises of such Branch Office. Original Certificate shall be produced on demand by the emigration authorities/law-enforcing authorities and employer.
- (v) यह कि प्रमाण-पत्र धारक सामान्यतः अपने कारबार का संचालन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में उपदर्शित स्थान से करेगा। आवेदन में उपदर्शित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई भर्ती केन्द्र खोलने के लिए प्रमाण-पत्र धारक को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा ;
- (v) that the holder of the certificate shall normally conduct the business from the place indicated in the application for registration. For opening a Recruitment centre at a place other than the place indicated in the application, the holder of the certificate has to obtain the prior approval of the Registering Authority.
- (vi) यह कि प्रमाण-पत्र धारक अपने कारबार के संचालन या व्यवहार के प्रयोजन के लिए उप अभिकर्ता को नियोजित नहीं करेगा ;
- (vi) that the holder of the certificate shall not employ sub-agents for the purpose of conducting or carrying on his business.
- (vii) यह कि प्रमाण-पत्र धारक उत्प्रवासियों से विहित फीस से अधिक प्रभारित नहीं करेगा और विहित मानक मजदूरियों का भी पालन करेगा ;
- (vii) that the holder of the certificate shall not charge more than the prescribed fee from the emigrants and also adhere to prescribed standard wages.

- (viii) यह कि प्रमाण-पत्र धारक अपने कारखाने के स्थान पर निम्नलिखित स्थायी अभिलेख बनाये रखेगा:—
(viii) that the holder of the certificate shall maintain the following permanent records at his place of business.
- (क) मूल निस्तारण पूंजी के प्ररूप में जिसमें भर्ती किए जाने वाले उत्प्रवासियों से प्रभारों को प्राप्त का एक रजिस्टर जिस में ऐसे प्रत्येक उत्प्रवासी के हस्ताक्षर होंगे जिनसे प्रभार वसूल किया गया है ऐसा प्रत्येक रजिस्टर भर्ती के लिये की गई मांग के प्रति निर्देश से होगा।
(a) a Register of receipt of charges from emigrants recruited, in the form of an original acquittance Roll containing the signature of each emigrant from whom the charge has been received. Each such Register shall be with reference to a demand for recruitment.
- (ख) नियोजकों से उनकी फोटोस्टेट प्रतियां सहित अभिप्राप्त रकम और पूर्व संदत्त टिकट सलाह के रजिस्टर और अभिलेख मांगवार रखे जायेंगे।
(b) a Register and record of the amounts and Pre-paid Ticket Advices, alongwith their photo copies received from the employers, identified demand-wise.
- (ग) दस्तावेजों द्वारा समर्थित मांगवार उत्प्रवासियों की भर्ती की वास्तविक व्ययों का विवरण देने वाला रजिस्टर।
(c) a Register containing details of expenses incurred on recruitment of emigrants demand-wise supported by documents.
- (घ) ऐसे प्रत्येक नियोजक के लिए जिसकी श्रम की मांग के बारे में प्रमाण-पत्र धारक ने कार्यवाही की है, कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है या कार्यवाही कर रहा है, व्यक्ति फोल्डर।
(d) individual folders for each employer whose demands of labour, the holder of the certificate has processed, proposed to process or is processing.
- (ङ) प्रमाण-पत्र धारक द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक उत्प्रवासी के जीवनवृत्त जिसमें पूर्ण विशिष्टियां जिसके अन्तर्गत उनके निकट संबंधी कानाम, पता, आयु, कौशल अनुभव और नाम और पता भी है, दी जाएगी।
(e) bio-data (giving full particulars including name, address, age, skill, experience and name and address of next of kin) of each emigrant recruited by the holder of the certificate.
- (च) उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा यथा अभिप्राप्त प्रत्येक उत्प्रवासी के नियोजन संविदाओं की प्रतियां।
(f) copies of employment contracts of each emigrant as authenticated by the Protector of Emigrants.
- (छ) मूल मांग, मुज्दारनामा और नियोजकों के साथ पत्र-व्यवहार।
(g) original demand, power of attorneys and correspondences with the employers.
- (ज) उत्प्रवासियों की भर्ती से संबंधित सभी दस्तावेजों जिनके अन्तर्गत जारी किए गए सभी विज्ञापनों साक्षात्कार पत्रों और आवेदकों के साथ पत्र व्यवहारों, मूल, अधिनिर्णय पत्रों जिसके कारण चयन हुआ है, की कार्यालय प्रतियां चयन प्रक्रिया में अंतर्बलित व्यक्तियों के नाम और पते, प्रत्येक प्रतीकारात्मक स्वकृप मूल रसीद लगाई जाएगी।
(h) all documents relating to recruitment of emigrants, including office copies of all advertisements issued, letters to interviews and correspondence with the applicants, original award sheets leading to the selection, names and address of persons involved in the selection process, copies of letters of appointments, trade-testing particulars, etc.
- (झ) नियोजकों से अभिप्राप्त वीजा का रजिस्टर जिसमें सम्मिलित और व्यक्तिगत वीजाओं का अलग लेखा-जोखा होगा।
(i) a Register of visas received from the employers, giving separate account of block and individual visas.
- (ञ) प्रमाण-पत्र धारक द्वारा भर्ती किए गए उत्प्रवासियों या उनके आश्रितों द्वारा क्षति या मृत्यु के लिए प्रतिकर के दावों का एक रजिस्टर जिस में उत्प्रवासी का नाम, पता, उत्प्रवास संख्या, नियोजन देने वाले देश का पता, नाम, यथा स्थिति क्षति या मृत्यु की प्रक्रिया, दुर्घटना की तारीख प्रातिकर्ता का नाम और पता नियोजक का नाम और पता और प्रतिकर का संदाय किये जाने के प्रतीकारात्मक स्वकृप मूल रसीद लगाई जाएगी।
(j) a Register of claims for compensation for injury or death made by the emigrants or their dependents, recruited by the holder of the certificate giving the name, address of the emigrant, emigration number, country of employment, nature of injury or death, as the case may be, date of accident, name and address of the recipient, name and address of the employer, and the receipt in original in token of having made the payment of compensation be pasted.
- (ट) ऐसे अन्य अभिलेख जो रजिस्ट्री द्वारा प्राधिकारी द्वारा बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित हों।
(k) such other records as may be required to be maintained by the registering authority.
- (ix) यह कि प्रमाण-पत्र धारक अपने मास के दसवें दिन तक प्ररूप 4 में पूर्ववर्ती मांग की विवरणी देगा।
(ix) that the holder of the certificate shall furnish return of the preceding month in Form IV by the 10th of the succeeding month.
- (x) यह कि उत्प्रवासियों की भर्ती के लिए विज्ञापनों की प्रतियां उत्प्रवासी संरक्षक के पास फाइल की जाएंगी।
(x) that copies of advertisements for recruitments of the emigrants shall be filed with the Protector of Emigrants; and
- (xi) मैं यह कि भर्ती अधिकारी उत्प्रवासी से संप्रत्यावर्तन व्ययों को प्रभावित नहीं करेगा।
(xi) that recruiting agent shall not charge the repatriation expenses from the emigrant.

तारीख और स्थान : New Delhi, 24/1/2005
Date and Place :

MGIPMRND—M—3 Lab.—7-1-1998—3,000.

(R.K. Singh)
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
के हस्ताक्षर नाम और मोहर
Signature, name and seal of
the Registering Authority
Protector General of Emigrants/
Registering Authority

Joint Secretary to the Protector of Emigrants
Ministry of Labour and Industrial Relations
Government of India



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
Government of India
Ministry of External Affairs
पंजीकरण प्रमाणपत्र
REGISTRATION CERTIFICATE

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की
धारा 11 के अधीन जारी
ISSUED UNDER SECTION 11 OF THE
EMIGRATION ACT, 1983

प्रमाणपत्र सं. ख
CERTIFICATE NO. B - 1379/DEL/PER/10004/5/9896/2021

प्रपत्र-V
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
प्रमाणपत्र
Form - V
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
REGISTRATION CERTIFICATE
[नियम 10 (2) देखें]
[See rule 10 (2)]



भारतीय श्रमिकों को विदेशी नियोक्ताओं के पास नियोजन हेतु भर्ती करने का व्यवसाय शुरू करने या चलाने हेतु उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन दिनांक 16/2/21 के संदर्भ में मैसर्स को उक्त प्रमाणपत्र एतद्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर प्रदान किया जाता है, अर्थात् :
With reference to the application dated 16/2/21 for grant of a Certificate under Section 10 of the Emigration Act, 1983 to commence or carry on the business of recruitment for deployment of Indian workers with foreign employers, M/s Sai International Services is hereby granted the said certificate effective from the date of issue of this certificate, Subject to the following terms and conditions, namely:

(i) कि यह व्यवसाय / that the business shall be conducted at Block G-31 2nd floor back side opposite McDonalds Restaurant, Main Market Road Kalkaji, Delhi-110019 में किया जाएगा।

- (ii) कि यह प्रमाणपत्र 10004 वर्षों की अवधि के लिए या 10004 (एक हजार चार) श्रमिकों की भर्ती पूरी होने तक, जो पहले हो, वैध रहेगा। विनिर्धारित अवधि से पहले विनिर्धारित संख्या के श्रमिकों की भर्ती पूरी हो जाने की स्थिति में प्रमाणपत्र धारक को वास्तविक मॉग का साक्ष्य प्रस्तुत करने और नियम 8 के उप नियम (2) के अधीन अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर प्रमाणपत्र की वैधता अवधि पूरी होने तक भर्ती करते रहने की अनुमति दी जा सकेगी।
that this certificate is valid for a period of 10004 years or till the completion of the recruitment of 10004 (One thousand) workers, whichever is earlier. In the event of the recruitment specified number getting completed before the specific period, the holder of the certificate can be permitted to continue recruitment upto the expiry of the certificate on production of evidence of actual demand and on furnishing additional security under sub rule (2) of Rule 8;
- (iii) कि प्रमाणपत्र धारक यह व्यवसाय निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर और मोहर के अंतर्गत करेगा और यह प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा।
that the holder of the certificate shall conduct business under signatures and seal of the director / partners / proprietor and the certificate shall not be transferable;
- (iv) कि इस पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक फोटोप्रति व्यवसाय-परिसर में एक ध्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय बड़े अक्षरों में लिखकर दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही किसी अन्य परिसर में, यदि कोई उपलब्ध है, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा सत्यापित उसकी एक प्रति ऐसे शाखा कार्यालय के व्यवसाय परिसर में ध्यानाकर्षी स्थल पर पठनीय बड़े अक्षरों में लिखकर दर्शायी जाएगी जिसमें भर्ती एजेंट को व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु पुष्टांकित किया गया होगा। मूल प्रमाणपत्र उत्प्रवासन प्राधिकारियों/विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों और नियोक्ताओं द्वारा मौजे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
that a photocopy of this registration certificate shall be prominently displayed at a conspicuous place in the premises of the business. Also, a copy attested by the registering authority with an endorsement of having authorized the recruiting agent to carry on the business at additional premises, if any, shall be displayed at a conspicuous place in the business premises of such Branch Office, Original Certificate shall be produced on demand by the emigration authorities/law enforcing authorities and employer;

एजेंसी का विवरण
PARTICULARS OF THE AGENCY

- पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.
Registration Certificate
Number B-1379/DEL/PER/10004/5/9896/2021
- एजेंसी का नाम
Name of the Agency M/s Sai International Services
- एजेंसी के कार्यालय का पता
Office Address of the Agency Block G-31, 2nd floor back side opposite McDonalds Restaurant, Main Market road Kalkaji, Delhi-110019
- एजेंसी की प्रकृति (कम्पनी/स्वायत्त फर्म/साझेदारी फर्म)
Nature of Agency (Company/Proprietorship firm/Partnership firm)
Proprietorship firm
- पं. प्र. धारक का नाम
Name of RC Holder Mrs. Sonab Pal
- पं. प्र. धारक के जन्म की तारीख
Date of birth of the RC Holder 10-09-1982
- पं. प्र. धारक की राष्ट्रियता
Nationality of the RC Holder Indian
- एजेंसी में पदनाम
Position in the Agency Proprietor

- एजेंसी की दूरभाष सं.
Telephone Number of the Agency 011-11-40504844
- एजेंसी की फैक्स सं.
Fax Number of the Agency -
- एजेंसी का ई-मेल पता
Email address of the Agency portal.sai.services@gmail.com
- पं. प्र. जारी करने की तारीख
Date of issue of RC 14.10.2021
- वैधता अवधि/Period of validity five वर्ष/Years
from 14.10.2021 से/to 22.09.2026 तक
- वैधता समाप्त होने की तारीख
Date of expiry of validity 22.09.2026
- भर्ती के लिए श्रमिकों की सीमा
Limit of workers to be recruited 1000 (One Thousand) Plus

पंजीकरण प्राधिकारी का
हस्ताक्षर, नाम और मोहर
SIGNATURE, NAME AND SEAL OF
THE REGISTERING AUTHORITY
उत्प्रवासन मंत्रालय
Protector General of Emigrants